

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश  
परिपत्रक सी-47/अधि-8(सा0)/डो0सो0बी0निरीक्षण दिनांक लखनऊ, 2015  
समस्त उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबंधक,  
सहकारिता, उ0प्र0।

विषय:-जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है दिनांक शासन की अधिसूचना सं0 944/XLIX-2-2008-26(1)-05 दिनांक 12.11.2008 द्वारा, उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 66 के अन्तर्गत, प्रदेश के अपर जिला सहकारी अधिकारियों को, अपनी तहसील में स्थित समस्त सहकारी संस्थाओं (शीर्ष सहकारी संस्थाओं को छोड़कर) के निरीक्षण विषयक, निबंधक का अधिकार प्रतिनिधित्व किया गया है।

जिला सहकारी बैंक एक केन्द्रीय सहकारी समिति है तथा इसकी शाखाएँ शहरी/वि0ख0/तहसील स्तर पर स्थापित है। इनके द्वारा कृषक सदस्यों एवं अन्य खाताधारकों को अल्पकालीन/अन्य विविध ऋण का वितरण तथा वसूली का कार्य किया जाता है। इनके शासन संचालन, समय के साथ नयी तकनीक/बैंकिंग प्रणाली को अपनाने पर निरीक्षण के निराकरण कराने, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन कराने, पदाधिकारियों/बैंक कार्मिकों/विभागीय कार्मिकों द्वारा पहुँचाई गयी आर्थिक क्षति को प्रकाश में लाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर, पारदर्शी कार्य संस्कृति विकसित करने हेतु बैंक शाखाओं का नियमित निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जनपद में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त बैंक शाखाओं का निरीक्षण कराकर एक माह के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट का संकलन जनपद स्तर पर किया जाय। निरीक्षण में पायी जाने वाली कमियों का निराकरण बैंक शाखाओं के सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों से करा लिया जाय। यदि निरीक्षण में किसी गम्भीर प्रकृति की वित्तीय अनियमितता/गबन/अप्रहरण की सूचना प्रकाश में आती है, तो उसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार तत्काल विधिक, अनुशासनिक एवं अधिभार की कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की संकलित सूचना, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-निरीक्षण हेतु चेक फांइट्स।

(किशन सिंह अटोरिया)

आयुक्त एवं निबंधक,

सहकारिता,


लखनऊ

क्रमांक: पेज सं0 2.....

(2)

परिपत्रक ~~सा-47~~ / अधि०-8(सा०) / डी०सी०बी०निरीक्षण दिनोंक उरु.  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहायकारी बैंक लि०, उ०प्र० को अनुपालनार्थ।
2. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निरीक्षण का कार्य निर्धारित अवधि में सम्पन्न कराया जाय।
3. अपर आयुक्त एवं अपरनिबंधक(अधि०) सहकारिता, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, कम्प्यूटर, सहकारिता, मुख्यालय लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
7. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, लखनऊ।

  
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(अधि०),  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।



जिला सहकारी बैंक एवं उनकी शाखाओं के निरीक्षण हेतु चेक प्वाइन्ट्स

दिनांक 17.09.2015

1	बैंक एवं शाखा भवन
2	सदस्यता/अंश पूंजी
3	कार्मिक प्रबन्ध नीति/प्रबन्धकीय व्यय
4	नाबार्ड/यू0पी0सी0बी0/डी0सी0बी0/पैक्स द्वारा निर्धारित ऋण सीमा एवं प्रभावी ब्याज दर
5	बैंक बीमा
6	बैंक निधि/निजी पूंजी
7	निवेश-जमा-अनुपात (आई0डी0आर0)
8	निवल ब्याज आय
9	सी0आर0आर0, सी0 आर0ए0आर0 तथा एस0एल0आर0 के मानकों की पूर्ति
10	एम0आई0एस0 का प्रेषण
11	बैंक/समिति/सदस्य के मध्य लेखा समाधानीकरण
12	सी0बी0एस0 के अन्तर्गत बैंकों द्वारा अद्यतन बैंकिंग सुविधाओं (आर0टी0जी0एस0, एन0इ0एफ0टी0, डी0बी0टी0, एस0एम0एस0, नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग) की उपलब्धता
13	उन्नति बैंकिंग कार्य संस्कृत का विकास
14	पूर्व निरीक्षण का अनुपालन
15	आडिट अनुपालन
16	नाबार्ड एवं आर0बी0आई0 को वैधानिक रिटर्न का प्रेषण
17	साख जमा अनुपात (सी0डी0आर0)
18	कुल व्यवसाय (निक्षेप+ऋण वितरण)
19	कुल ऋण वितरण में अल्पकालीन ऋण एवं विविधीकृत ऋण का अनुपात
20	इम्बेलेस
21	सहकारी निक्षेप केन्द्रों में जमा निक्षेप के निवेश की स्थिति
22	प्रबन्ध कमेटी की बैठक का अन्तराल
23	ए0जी0एम0 बैठक
24	गबन/अपहरण/दुर्विनियोग की स्थिति एवं कार्यवाही।
25	रूपे किसान क्रेडिट कार्ड एवं पैक्स कामन एकाउन्टिंग सिस्टम की प्रगति
26	पैक्स डेवपलममेंट सेन्टर की स्थापना एवं उसका प्रभाव
27	बैंक में जोखिम प्रबन्धन, ऋण प्रबन्धन, आई0टी0 प्रबन्धन, एन0पी0ए0 प्रबन्धन, अतिदेय प्रबन्धन तथा गैर निधि व्यवसाय के लिए अपनाये गये उपाय/नीतियों का कियान्वयन
28	शाखाओं के व्यवसाय/कार्य निष्पादन की समीक्षा
29	बैंक/शाखाओं की लाभप्रदता बढ़ाने के उपाय
30	आन्तरिक निरीक्षण/आडिट
31	अन्तःबैंक खातों का मिलान
32	भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/आर0सी0एस0/यू0पी0सी0बी0/डी0सी0बी0 द्वारा निर्गत परिपत्रों का संग्रहण एवं कार्यवाही
33	गैर निधि व्यवसाय की प्रगति
34	वर्ष 2014-15 के सन्तुलन पत्र का सार
35	बैंक जमा, ऋण वितरण एवं निवेश बढ़ाने के सन्दर्भ में सुझाव
36	जिला सहकारी बैंकों के बेहतर निष्पादन के सन्दर्भ में प्रस्तावित अन्य कोई नीति/सुझाव

